रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06122022-240819 CG-DL-E-06122022-240819

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5439] No. 5439] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 5, 2022/अग्रहायण 14, 1944 NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 5, 2022/AGRAHAYANA 14, 1944

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5671(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 के कि.मी 177.000 से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-330 के कि.मी 39.000 तक के उत्तर प्रदेश राज्य के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन (प्रतापगढ़ बाईपास विस्तार) में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

8080 GI/2022 (1)

अनुसूची उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH330 (प्रतापगढ़ बाईपास विस्तार) पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	मुख्या राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़ ()	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH330 के कि.मी. 0 से 6.125 तक	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	सदर	7         1       प्रतापगढ़ सिटी         2       भुआलपुर किला         3       भदोही         4       सराय देवराय         5       खजोहरी         6       जलालपुर         7       बबुरहा         8       राजगढ़         9       भीलमपुर         10       घाटमपुर         11       खूंटाघाट         12       धारूपुर         13       महकनी	

फा. सं. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-330/2022-23]

राजेश गुप्ता, निदेशक

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2022

**S.O.** 5671(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for construction of Pratapgarh Bypass Extension to 2 laning with paved shoulders of from Existing km. 177.000 of NH-31 to Existing km. 39.000 of NH-330 of Pratapgarh in the State of UTTAR PRADESH.

## **SCHEDULE**

Land acquisition on National Highway No. NH330(Pratapgarh Bypass Extension) in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Chief Revenue Officer,Pratapgarh	0KM To 6.125KM	UTTAR PRADESH	PRATAPGARH	Sadar	1 Pratapgarh City 2 Bhuvalpur Kila 3 Bhadohi 4 Sarai Devrai 5 Khajohri 6 Jalalpur 7 Baburaha 8 Rajgarh 9 Bhilampur 10 Ghatampur 11 khunta Ghat 12 Dharupur 13 Mahkani

[F. No. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-330/2022-23]

RAJESH GUPTA, Director